

राजस्थान सरकार
कार्यालय उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद

क्रमांक

दिनांक:-

प्रशासनिक स्वीकृति

जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन- वृक्ष जनित तिलहन (टी.बी.ऑ.स.) के तहत कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर के दिशा-निर्देश क्रमांक प.5(58)/आ.क./एनएफएसएम- टी.बी.ऑ.स./2020-21/11822-75 दिनांक 15.05.2020 की अनुपालना में वर्ष 2020-21 में जैतून की खेती का कार्यक्रम लिये जाने के निर्देश है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार जैतून उद्यानो की स्थापना के लिए पौधों की वास्तविक लागत या अधिकतम राशि रु. 48000/- प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो का अनुदान देय है, की पालना में निम्नलिखित सारणी अनुसार सोसायटी/संस्था/कृषक को जैतून उद्यान स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. स.	कृषक नाम/पिता का नाम मय पूर्ण पता	जाति	श्रेणी	मो0 न.	क्षेत्रफल (है0)	पौध रोपण ज्यामिती RxP	कुल पौधों की संख्या मय 10% मोर्टेलिटी	पौधों का कुल मूल्य रु0	अनुदान की राशि रु	कृषक हिस्सा राशि रु0	वि0 वि0
1						7x4 M				----	

अनुदान की राशि राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 (बस्सी प्रोजेक्ट) को उपलब्ध करवायी जायेगी। जैतून के पौधे राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स बस्सी, जयपुर से कृषकों को उपलब्ध कराये जावेंगे तथा परिवहन व्यय कृषक को वहन करना होगा।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)

दिनांक:-

क्रमांक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (एनएमओओपी) कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)
- श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
- चीफ आपरेशन आफिसर, राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लिमिटेड, सियाम केम्पस, कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर दूरभाष संख्या 0141.-2554106, को भेज कर अनुरोध है कि कृषकों को उपरोक्त विवरणानुसार कृषक हिस्सा राशि प्राप्त कर पौधे उपलब्ध करवाने के आदेश संबंधित अधिकारी को जारी करावें। पौधों की राशि के भुगतान हेतु इस कार्यालय के नाम से बिल जारी करावें।
- कृषि अधिकारी, सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्सी जयपुर को भेज कर लेख है कि संबंधित कृषक को पौधे उपलब्ध करावें। पौधों का बिल उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद के नाम से जारी करें तथा बिल पर कृषक से पौधे प्राप्ति रसीद आवश्यक रूप से अंकित करें।
- सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)
- लेखा शाखा कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि अनुदान राशि राजस्थान ओलिव कल्टीवेशन लि0 (बस्सी प्रोजेक्ट) जयपुर के निम्न बैंक खाते में जमा कर संबंधित कार्यालय को ईमेल coo@rajolive.com एवं rocl@rajolive.com पर सूचित करें।

Rajasthan Olive Cultivation Limited (Bassi Project)

A/c - 0298102000019567

Bank - IDBI

Branch - Tonk Road , Jaipur

IFSC Code - IBKL0000298

- संबंधित कृषक श्री/श्रीमती..... को भेजकर लेख है कि अविलम्ब कार्यालय में संपर्क कर समूह में आरओसीएल के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स, बस्सी, जयपुर से जैतून पौधे प्राप्त कर निर्धारित तकनीकी मापदण्ड अनुसार पौधा रोपाई सुनिश्चित करावे।

उप निदेशक कृषि (विस्तार)

.....